



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 25 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट की घटना कारित करने के आरोपी को 05 वर्ष 08 माह 22 दिन का कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त आरिफ पुत्र अब्दुल सलाम निवासी एचाना थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में लूटपाट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर क्रमशः दिनांक 01-02-2019 को मुअसं- 114/19 धारा 392,411 भादवि व दिनांक 21-02-20219 को मुअसं-150/19 धारा 392,506 भादवि पंजीकृत किये गये एवं पुलिस द्वारा क्रमशः दिनांक 29.04.2019 को व दिनांक 24-04-2019 को मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गये। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 02 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 25.11.2024 को न्यायाधीश श्री अर्जुन डबास (मा0 न्यायालय एसीजे एसडी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आरिफ को 05 वर्ष 08 माह 22 दिन का कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री रामअवतार सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर